राजस्थान विश्वविद्यालय,जयपुर
जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाष 0141-2256602 Email: gaduorjaipur@gmail.com

क्रमांकः–सा.प्र. / 2024 / दिनांकः

कार्यालय–आदेश

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act 2016) में वर्णित प्रावधानानुसार दिव्यांगजन हितार्थ एवं अधिकारों के संरक्षण मे अर्थात् सुगम्यता (रैम्प, व्हीलचैयर, टेक्टाईल्स, सहायक उपकरण, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ इत्यादि) के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर का न्यायालय राज्य आयुक्त, विशेष योग्यजन, राजस्थान द्वारा मोनिटरिंग / निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है।

अतः समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्राचार्य / प्राचार्या / प्रभारी अधिकारी / इकाई प्रभारी / उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव तथा विश्वविद्यालय अभियंता को निर्देशित किया जाता है कि आपके विभाग / महाविद्यालय / इकाई में दिव्यांगजन से सम्बन्धित समस्त सुविधाओं / व्यवस्थाओं (रैम्प, व्हीलचैयर, टेक्टाईल्स, सहायक उपकरण, चिकित्सा सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ इत्यादि) को दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही दिव्यांगजन हितार्थ निरीक्षण के दौरान सहयोग प्रदान करें।

कुलसचिव

क्रमांकः–सा.प्र. / 2024 / 5515-90 दिनांकः 29/11/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त अधिष्ठाता / प्राचार्य / प्राचार्या / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक / प्रभारी अधिकारी / इकाई प्रभारी, समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक इकाइयाँ, रा.वि.वि., जयपुर।
2. वित्तीय नियन्त्रक व वित्तीय सलाहकार / मुख्य कुलानुशासक / परीक्षा नियन्त्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उक्त कार्यालय आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।**
4. विश्वविद्यालय अभियन्ता, रा.वि.वि., जयपुर।
5. मैसर्सः दीपक एण्टर प्राइजेज, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभागों एवं कार्यालयों में निर्मित रेम्पों आदि की सफाई की व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति / कुलसचिव, रा.वि.वि., जयपुर।
7. रक्षित पंजिका।

29.11.2024
उप कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)

Scanned with OKEN Scanner